"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 229] रायपुर, बुधवार, दिनांक 25 सितम्बर 2002—आश्विन 3, शक 1924

पर्यावरण एवं नगरीय विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 20 सितम्बर 2002

प्रारंभिक अधिसूचना

क्रमांक 4719/18/2002.—राज्य शासन, सेन्ट्रल प्रॉविन्स एण्ड बरार की अधिसूचना क्रमांक 1129-734-एस-टी, दिनांक 26 जून, 1948 द्वारा गठित एवं अधिसूचना क्रमांक 4719/18/2002 रायपुर दिनांक 3 सितम्बर, 2002 के द्वारा परिसीमित नगरपालिका परिषद्, जगदलपुर को, इसके वृहत्तर नगरीय स्वरूप धारण करने के कारण छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 7 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगरपालिक निगम के गठन का आशय करता है. साथ ही नगरपालिक निगम, जगदलपुर के गठन होने की स्थिति में छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 328 (1) के अधीन नगरपालिका परिषद्, जगदलपुर को भंग करने का भी आशय रखता है.

कोई भी व्यक्ति या संस्था या स्थानीय निकाय को उपरोक्त आशय के विषय में कोई भी आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के राजपत्र के प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अंदर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकेगा. आपत्तियों पर विचारोपरांत राज्य शासन, नगरपालिक निगम, जगदलपुर के गठन के विषय में अंतिम निर्णय लेगा.

Raipur, the 20th September 2002

PRELIMINARY NOTIFICATION

No.4719/18/2002.—In exercise of the powers conferred under Section 7 of Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956), the State Government, hereby expresses its intent to constitute a Municipal Corporation in place of Municipal Council, Jagdalpur, constituted vide Notification No. 1129-734-S-T, 26th June 1948 of Central Province & Brar, and demarcated vide Notification No. 4719/18/2002 dated 3rd September, 2002 as it has transformed into a larger urban area. The State Government also intents to dissolve the Municipal Council, Jagdalpur under Section 328 (1) of Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 in the event of formation of Municipal Corporation, Jagdalpur.

Any person or institution or local body having any objection with the above intention, may submit their objection within 30 days from the date of this publication in the official Gazette. After considering all such objections, the State Government shall take the final decision.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक ढॉड, सचिव.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2002.